

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री राजकरण ग्रोवर पिता बक्षीराम ग्रोवर निवासी रावतभाटा हाल दुकान नं. 27, एस. एम. लोधा मार्केट, एयरोड्रॉम, सर्कल, कोटा (राज.)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 41/2021

००२१/१५७

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05/04/21	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री राजकरण ग्रोवर पिता बक्षीराम ग्रोवर निवासी रावतभाटा हाल दुकान नं. 27, एस. एम. लोधा मार्केट, एयरोड्रॉम सर्कल, कोटा ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 03.11.2020 को प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील जरिए डाक प्रस्तुत की गई है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.11.2020 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 03.12.2020 तक सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 02.01.2021 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तुत अपील पर अपीलार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 24.03.2021 अंकित कर जरिए डाक प्रेषित की है जो दिनांक 26.03.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त होना पाया जाता है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 02 माह 2 दिवस पश्चात् दिनांक 26.03.2021 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है तथा न ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा से सूचना चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.11.2020 की प्रति प्रस्तुत की है। वस्तुतः अपील में विलम्ब से पेश करने बावत कोई अंकन ही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	



(कै.कै. शर्मा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)